FORM NO -III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत कलक्टर, **मुकाम** नागौर

प्रार्थी

विकमसिंह पुत्र प्रहलादसिंह उम्र 32 वर्ष जाति राजपूत निवासी लालगढ़ तहसील बिदासर जिला चुरू राज. जरिये आम मुख्त्यार श्री इमरान खान पुत्र जफरूदीन जाति मुसलमान (पठान) उम्र 22 साल निवासी शैरानी आबाद तहसील डीडवाना जिला नागौर राज.

बनाम

अप्रार्थी

राजस्थान सरकार जरिये अभियोजन अधिकारी

किस्म मुकदमा फौजदारी प्रार्थना पत्र **संख्या** 23 **सन्** 2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
09.07.2021	वकील प्रार्थी ने धारा 451, 457 सी.आर.पी.सी. के तहत यह फौजदारी प्रार्थना पत्र पुलिस थाना डीडवाना द्वारा एफ.आई.आर. संख्या 125/2021 अपराध अन्तर्गत धारा 467, 468, 471, भा0दं0सं0 व धारा 3, 5, 6 व 8 राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थाई प्रवजन या निर्यात का विनिमय) नियम 1995 के तहत दर्ज प्रकरण में प्रार्थी की जब्त शुदा वाहन टाटा ट्रक नं. आर.जे.21 जीसी 4009 को जमानतनामा व सुपुर्दगी नामा पर छोड़े जाने हेतु प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। अभियोजन अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी को मय उक्त प्रकरण अनुसंधान पत्रावली सहित दिनांक 20.07.2021 को न्यायालय हाजा मे उपस्थित होने हेतु पाबन्द करावें। पत्रावली दिनांक 20.07.2021 को पेश हो। जिला कलक्टर, नागौर	
20.7.21	वकील प्रार्थी उप0। सरकार की ओर से अभियोजन अधिकारी श्री आनन्द व्यास उप0। प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी श्री नरेन्द्रसिंह एस.आई. पुलिस थाना डीडवाना मय प्रकरण की केस–डायरी के उपस्थित। वकील प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 451, 457 सी.आर.पी.सी. पर वकुलाय की बहस सुनी। वकील प्रार्थी ने बहस में कथन किया कि प्रार्थी की स्वामित्व सुदा, कब्जा सुदा वाहन टाटा ट्रक नं. आर.जे. 21 जीसी 4009 है, जिसका प्रार्थी इमरान खान आम मुख्त्यार है, एवं उक्त वाहन का पंजीकृत स्वामी विकमसिंह पुत्र प्रहलादसिंह उम्र 32 साल जाति राजपूत निवासी लालगढ़ तहसील बिदासर जिला चुरू है तथा पुलिस थाना डीडवाना द्वारा वाहन को जब्त कर रखा है, जो पुलिस थाना डीडवाना की तहवील में है। उक्त पुलिस थाना डीडवाना द्वारा एफ.आई.आर. संख्या 125/2021 अपराध अन्तर्गत धारा 467, 468, 471, भा0दं0सं0 व धारा 3, 5, 6 व 8 राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थाई प्रवजन या निर्यात का विनिमय) नियम 1995 के तहत दर्ज प्रकरण में उक्त जप्तशुदा वाहन की न्यायालय हाजा को कोई आवश्यकता नहीं है। न्यायालय हाजा द्वारा उक्त वाहन को जब भी तलब करेंगें तब–तब प्रार्थी अपने स्वंय के खर्च से अदालत हाजा में पेश कर देगा। उक्त वाहन का जब तक	मूल केस डायरी प्राप्त की P. Niwas

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.11.26 18:31:34 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
20.7.21 (लगातार)		

मुकदमें का निस्तारण नहीं हो जाता, तब तक हस्तान्तरण आदि अन्य को नहीं करेगा तथा न्यायालय हाजा की अन्य कोई शर्त हो तो वो भी मानने को तैयार है, इत्यादि कथन करते हुए प्रार्थी के टाटा ट्रक नं. आर.जे.21 जीसी 4009 को सुपुर्दगीनामा एवं जमानतनामा पर छोड़े जाने का आदेश प्रदान करने का निवेदन किया है।

अभियोजन अधिकारी श्री आनन्द कुमार एवं अनुसंधान अधिकारी श्री नरेन्द्रसिंह ने बहस में कथन किया कि दिनांक 21.06.2021 को दौराने गस्त पुलिस को विनायक होटल सरहद पावटा के पास कुचामन की ओर जाने के लिए ट्रकें खड़ी है, जिनमें गाये होने की इतिला मिलने पर प्राप्त होने पर मौके पर पहूँच कर कुल छः ट्रक मिले जिन्हे चेक किया जिसमें उक्त वाहन ट्रक आरजे–21 सीजी–4009 को भी चेक किया तो ट्रक के अन्दर 12 गाये भरी हुई थी, जिसके चालक का नाम पता पुछा तो चालक ने अपना नाम सदाम पुत्र हासम खां जाति शेरानी मुसलमान उम्र 35 वर्ष निवासी सुफियान मोहल्ला शेरानी आबाद पुलिस थाना खुनखुना होना बताया। उक्त ट्रक चालक को ट्रक में गाये भरने व परिवहन करने के लाईसेन्स व परमिट के बार में पूछा तो किसी प्रकार का लाईसेन्स या परमिट नहीं होना बताया तथा चालक ने ट्रक में भरी गायों का फिटनेश सर्टिफिकेट पेश किये जिन पर कोई सरकारी सील व डिस्पेच नम्बर अंकित नहीं होने एवं उक्त दस्तावेज फर्जी होना प्रतीत हुआ। उक्त ट्रक चालक को गायो को ट्रक में भरकर परिवहन करने के संबंध में पूछने पर कोई सन्तोषजनक जबाव नहीं दिया। उक्त ट्रक चालक द्वारा गोवंश के वध करने के उद्देश्य से फर्जी व कुटरचित दस्तावेज फिटनेश सर्टिफिकेट ऑफ एनिमल तैयार कर परिवहन करते पाये जाने पर उक्त ट्रक चालक को जरिये फर्द गिरफतार किया गया एवं उक्त ट्रक जरिये फर्द जब्ती के जब्त किया जाकर पुलिस थाना डीडवाना में उक्त वाहन चालक सदाम व अन्यों के विरूद्ध एफ.आई.आर. संख्या 125/2021 अपराध अन्तर्गत धारा 467, 468, 471, भा0दं0सं0 व धारा 3, 5, 6 व 8 राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थाई प्रवजन या निर्यात का विनिमय) अधिनियम 1995 के तहत दर्ज प्रकरण दर्ज किया गया है।

प्रार्थी विकमसिंह ने स्वंय को प्रकरण में जब्तशुदा उक्त वाहन ट्रक का स्वामी होना बताते हुए उक्त वाहन ट्रक को छोड़ने हेतु हस्तगत आवेदन पत्र जरिये आम मुख्त्यार श्री इमरान खान के पेश किया है। प्रकरण में जब्तशुदा उक्त वाहन ट्रक मालिकाना हक एवं अन्य बिन्दुओं पर उक्त वाहन ट्रक के मालिक से अनुसंधान किया जाना शेष है। इस प्रकार हस्तगत प्रकरण अभी जैर अनुसंधान होने से प्रकरण में जब्तशुदा वाहन ट्रक आरजे–21 सीजी–4009 जमानतनामा व सुपुर्दगीनामा पर नहीं छोड़ा जाना कतई उचित नहीं है तथा यह भी कथन किया कि प्रकरण में विकमसिंह की तलाश जारी है, जिससे अनुसंधान शेष है तथा आम मुख्त्यार इमरान खान ने उपस्थित होकर अनुसंधान अधिकारी के समक्ष गाड़ी पर स्वंय के हक से संबंधित कोई दस्तावेज पेश नहीं किये है। वाहन मालिक उक्त अधिनियम 1995 की धारा 6 के तहत दुष्प्रेरक के रूप में हस्तगत प्रकरण में आरोपी होने का कथन करते हुए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत हस्तगत आवेदन पत्र को खारिज करने का निवेदन किया है। प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट पत्रांक–2006 दिनांक 20.07.2021 शा0मि0 हो।

वकुलाय की बहस पर मनन किया। सम्पूर्ण रिकार्ड का अवलोकन किया। प्रकरण में अभियोजन अधिकारी एवं अनुसंधान अधिकारी द्वारा किये गये कथन कि प्रकरण में [illegible] जिससे अनुसंधान शेष है तथा आम मुख्त्यार इमरान [illegible] स्थित होकर अनुसंधान अधिकारी के समक्ष गाड़ी पर स्वंय [illegible] कोई [illegible] पेश नहीं किये है। वाहन मालिक उक्त अधिनियम [illegible] की धारा 6 के तहत दुष्प्रेरक के रूप में हस्तगत प्रकरण में आरो[illegible] प्रकरण में जब्तशुदा वाहन ट्रक के मालिक [illegible] अनुसंधान पूर्ण नहीं हुआ है, ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवे[illegible] अन्तर्गत धारा 451 [illegible] सी.आर.पी.सी स्वीकार किये जाने योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है। आदेश सुनाया गया। मूल केस–डायरी अनुसंधान अधिकारी को लौटाई जावे। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(डॉ0 जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर, नागौर

कलक्टर, नागौर

जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.11.26 18:31:34 IST
Reason: SelfAttested